संख्या-21/2018/487 ई-2/तेरह-2018-83/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 फरवरी,2018

विषय:- जनपद लखनऊ के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-3477/जि0आ0अ0/बार-अनु0/लखनऊ/2017-18, दिनांक 01 जनवरी,2018 तथा पत्र संख्या-3826/जि0आ0अ0/बार-अनु0/लखनऊ/2017-18, दिनांक 27 जनवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 27-12-2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-333/दस-लाइसेंस-1/खण्ड-20/एफ0एल0-6, 7/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स स्काई हिल्टन लाउन्ज एण्ड रेस्टोरेन्ट (ए यूनिट आफ स्काई हिल्टन फूड प्रा0लि0) पॉचवा तल, जे0बी0 इम्पीरियर स्क्वायर 1212 एस0ए0 बरगवॉ, कानपुर रोड, लखनऊ में वर्ष 2017-18 हेतु एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जा सकता है कि उक्त होटल/रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2018/487 (1)ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-333/दस-लाइसेंस-1/खण्ड-20/एफ0एल0-6, 7/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।